न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 682 / 2022

अनवान : –

1. शैलेन्द्र कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर

– वादी

बनाम्

1. मनीराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
2. विजय सिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
4. सिलोचना पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 3/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता स0 176 / 164 के ख0न0 161 / 2 की 4.6760 हैक्ट भूमि, ख0न0 247 / 2 की 2.3820 हैक्ट कुल तादादी 7.0590हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 मनीराम पुत्र रावताराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 मनीराम पुत्र रावताराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है। वादी के दादा रावताराम के फौत होने के बाद विरासतन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। इसलिए उक्त वाद भूमि पैतृक है। जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बराबर हक व हिस्सा है।

प्रतिवादीया स0 3 ता 4 वादी व प्रतिवादी स0 2 की बहिने है। प्रतिवादी स0 3 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादीया स0 3 ता 4 ने अपने हक हिस्से की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी स0 2 के पक्ष कर दिया है। इसलिए वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:32:04 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को काफी मर्तबा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की प्रतिवादी स0 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी व प्रतिवादी स0 2 के हक हिस्सा की भूमि है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकार है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण का कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 5 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई एतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 3 ता 4 जो की वादी व प्रतिवादी स0 2 की बहिने है, के द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता सं0 176/164 के खसरा न0 161/2 व खसरा न0 247/2 की कुल 7.0590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के [illegible] राम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 3 ता [illegible] जो [illegible] वादी व प्रतिवादी स0 2 की बहिने है, के द्वारा अंपने हक हिस्सा की भूमि [illegible] प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 [illegible] 4 ने स्वीकार कर मुताबिक अनुतोष डिक्री

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:32:04 IST
Reason: SelfAttested

किये जाने हेतु निवेदन किया है। है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का एतराज नही होने व वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता सं0 176/164 के खसरा न0 161/2 व खसरा 247/2 की कुल 7.0590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम पुत्र रावताराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी शैलेन्द्र कुमार व प्रतिवादी स0 2 विजय सिंह को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/12/23..... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:32:04 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 682/2022

अनवान : –

1. शैलेन्द्र कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर

वादी

बनाम्

1. मनीराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
2. विजय सिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
4. सिलोचना पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगीलाल देहडू व पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता सं0 176/164 के खसरा न0 161/2 व खसरा 247/2 की कुल 7.0590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम पुत्र रावताराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी शैलेन्द्र कुमार व प्रतिवादी स0 2 विजय सिंह को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 31/2/23..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:32:04 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर